फर्द अहकाम

गीतादेवी बनाम बदाम देवी

नाम न्यायालय :- उपखण्ड अधिकारी फागी

केस संख्या:- 09/2020

आज्ञा विस्तृत रूप से

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		को नक्शा-कुर्रेजात भिजवाने हेतु पृथक से तहरीर जारी हो। पत्रावली दिनांक 8/8/25 को पेश हो।
	8/8/25	पत्रावली पेश हुई पक्षकारान वकील उपस्थित। पत्रावली वास्ते नक्शा-कुर्रेजात हेतु दिनांक 12/9/25 को पेश हो।
	12/9/25	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान के वकील उपस्थित आज अभिभाषक संघ फागी ने न्यायिक के कार्य स्थगित किया है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 24/10/25 को पेश हो।
	24/10/25	पत्रावली पेश हुई है पी0ओ0 साहब अन्य राज कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 10/11/25 को पेश है। नक्शा कुर्रेजात पेश हुए जिसे शामिल मिसल किया गया।
	10/11/25	पत्रावली पेश हुई। व कुलांक 3प० नक्शा कुर्रेजात पर बहस सुनी गयी। [illegible] अधिवक्तागण ने सहमति जाहिर की। पत्रावली P.D अनुसार [illegible] हो। [illegible] पृथक से [illegible] शामिल किये [illegible] पत्रावली [illegible] हो। 10/4/26

उपखण्ड अधिकारी
फागी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मुकदमा नम्बरः— 09 / 2020
निर्णय दिनांकः 10.11.2025
पीठासीन अधिकारी— राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)

1. गीता देवी पत्नि चिरंजीलाल जाति खटीक निवासी नीमेडा तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।

वादीया

बनाम

1. बदाम देवी पत्नि प्रभुलाल जाति रैगर निवासी फागी तहसील फागी जिला जयपुर राज.।
2. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ताः— श्री संजीव कुमार पारीक अधिवक्ता वादीया
श्री भोजराज सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी

वाद तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.एक्ट.

निर्णय दिनांकः— 10.11.2025

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व मे विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम फागी उत्तर के सम्बन्ध मे दिनांक 15.10.2025 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री किया जाकर तहसीलदार फागी को निर्णय व डिक्री की प्रति भेजकर नक्शा व कुर्रेजात दो—दो प्रतियों में भिजवाने हेतु लिखा गया। तहसीलदार फागी द्वारा नक्शे — कुर्रेजात प्रस्तुत किये गये। प्रस्तुत नक्शा व कुर्रेजात का अवलोकन वकील वादी व वकील प्रतिवादीगण को कराया गया। वकील वादीया ने नक्शा कुर्रेजात पर कोई आपत्ति प्रकट नही की। बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने मुताबिक नक्शा कुर्रेजात दावा अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादीगण ने मुताबिक नक्शा — कुर्रेजात डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की।

अतः तहसीलदार फागी द्वारा भिजवाये गये नक्शा कुर्रेजात को गलत माननें का कोई आधार नही है। वादीया का वाद मुताबिक नक्शा — कुरेजात अन्तिम डिक्री किया जाना उचित है।

अतः वादीया का वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है तथा इसी अनुसार लगान फेटबन्दी किये जाने के आदेश दिये जाते है। मुताबिक निर्णय डिक्री पर्चा जारी हो। मुताबिक निर्णय व डिक्री राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

क्र.स	नाम खातेदार मय वल्दियत	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	**बदाम देवी पत्नी प्रभूलाल राहिन एस.बी.आई. बैंक शाखा गवर्मेन्ट हॉस्पिटल फागी**	1677	0.2655	नहरी—I	
		1678 / 1	0.4621	नहरी—I	
		1679 / 1	0.05	नहरी—I	
	योग	किता 3	0.7776		

उपखण्ड अधिकारी
फागी

2	कृष्णा देवी, कोमल, मधुदेवी पुत्रिया रामेश्वर हि0 1/6 हि.ब. गीता देवी पत्नी स्व. रामेश्वर हि. 13/18, योगेश पुत्र रामेश्वर हि0 1/18 नावा विकास पुत्र रामेश्वर संरक्षक सरपरस्त माता गीता देवी हि0 1/18 जाति रैगर सा. देह	1678/2 1679/2 0.1680	0.0563 0.1523 0.5690	नहरी-I नहरी-I नहरी-I	
	योग	किता 3	0.7776		

निर्णय आज दिनांक 10.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी

सत्यमेव जयते

गीता देवी वगैरह बनाम बदाम देवी वगैरह
मुकदमा– 09/2020
निर्णय दिनांक– 10.11.2025

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत– उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बइजलास– राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)

दरम्यान

1. गीता देवी पत्नि चिरंजीलाल जाति खटीक निवासी मीगड़ा तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।

वादीया

बनाम

1. बदाम देवी पत्नि प्रभुलाल जाति रैगर निवासी फागी तहसील फागी जिला जयपुर राज.।
2. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

::– वाद तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा ::–

मु0न0:– 09/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादीया श्री राजीव कुमार पारीक हाजिर रूबरू वकील प्रतिवादीगण श्री भोजराज सिंह मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादीया का वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है तथा इसी अनुसार लगान फेटबन्दी किये जाने के आदेश दिये जाते है। नक्शा – कुरेजात निर्णय डिक्री के पार्ट होगे।

निज.........मुवलिग.........बाबत.........
.........खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.........
फीसदी.........सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक......... का अदा करे।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10.11.2025 को जारी की गई।

दस्तखत.........

मुहर

ओहदा उपखण्ड अधिकारी फागी

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

क्र. स	नाम खातेदार मय वल्दियत	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	बदाम देवी पत्नी प्रभूलाल राहिन एस.बी.आई. बैंक शाखा गवर्मेन्ट हॉस्पिटल फागी	1677	0.2655	नहरी–I	
		1678/1	0.4621	नहरी–I	
		1679/1	0.05	नहरी–I	
	योग	किता 3	0.7776		
2	कृष्णा देवी, कोमल, मधुदेवी पुत्रिया रामेश्वर हि0 1/6 हि.ब. गीता देवी पत्नी स्व. रामेश्वर हि.	1678/2	0.0563	नहरी–I	

	13/18, योगेश पुत्र रामेश्वर हि0 1/18 नावा विकास पुत्र रामेश्वर संरक्षक सरपरस्त माता गीता देवी हि0 1/18 जाति रैगर सा. देह	1679/2 0.1680	0.1523 0.5690	नहरी–I नहरी–I	
	योग	किता 3	0.7776		

निर्णय आज दिनांक 10.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर